निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 290) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

12 जनवरी 2016

सं0 22 नि0 सि0 (वीर0)–07–06/2009/76––श्री गणेश लाल बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा (प्रतिनियुक्त) के विरूद्ध उड़नदस्ता द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री बसाक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित निम्न आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1301 दिनांक 17.11.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः–

''पूर्वी कोशी एफलक्स बाँध के डाउन स्ट्रीम कट इंड में बाढ़ अवधि 2008 में कराये गये सुरक्षात्मक कार्य उनके मौजूदगी में कराये गये, जिसमें बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 12 प्रतिशत वायड की कटौती दैनिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया तथा उनके द्वारा बोल्डर क्रेटिंग कार्य में वायड के प्रतिशत का वास्तविक आकलन का निर्देश भी दिया गया, जिसका अनुपालन कराये बगैर प्रपत्र–24, जिसमें बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 12 प्रतिशत वायड की ही कटौती की गयी थी, को प्रतिहस्ताक्षरित कर विभाग को समर्पित कर दिया गया। इस प्रकार कार्य का समुचित पर्यवेक्षण न करने एवं बोल्डर क्रेटिंग कार्य में वास्तविक वायड के आकलन का निदेश देने के बावजूद उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के कारण जाँचोपरान्त वायड की मात्रा भुगतान किये गये वायड की मात्रा 16.52 प्रतिशत अधिक पायी गयी, फलस्वरूप 4,53,478/– (चार लाख तिरपन हजार चार सौ अठहत्तर) रूपये की राशि का अधिकाई भुगतान हुआ, जिसके लिए ये प्रथम दृष्टया दोषी हैं।''

श्री बसाक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन से पूर्व इनके सेवानिवृति होने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0 07 सह पठित ज्ञापांक 77 दिनांक 17.01.13 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवचाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत से विभागीय पत्रांक 799 दिनांक 06.04.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः–

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि समय की बाध्यता एवं कार्यस्थल की भीषण परिस्थिति में भी कार्य की प्रगति को बनाये रखने हेतु प्रपत्र–24 प्रतिहस्ताक्षरित कर विभाग को प्रेषित किया गया। अधिकाई भुगतान के लिए कार्यपालक अभियंता एवं अभियंता प्रमुख दोषी हैं। आरोपित पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 06, आवास दरभंगा दिनांक 04.09.09 एवं पत्रांक 02, शिविर–पटना दिनांक 10.12.12 का अवलोकन करते हुए स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विभागीय समीक्षाः– आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि समय की बाध्यता कार्य की प्रगति को बनाये रखने एवं कार्यस्थल की विषम परिस्थिति के आलोक में प्रपत्र–24 प्रतिहस्ताक्षरित कर विभाग को भेजा गया। आरोपित पदाधिकारी का उक्त बयान उनके पूर्व बयानों में भी दिया गया है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि आरोपित पदाधिकारी द्वारा वायड की जाँच कराये बिना ही प्रपत्र–24 में वायड की मात्रा 12 प्रतिशत विभाग को भेजी गयी जबकि तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा वायड की न्यूनतम मात्रा 20 प्रतिशत निर्धारित है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 06 आवास दिनांक 04.09.09 एवं पत्रांक 02, शिविर, दिनांक 10.12.12 को पुनः अवलोकन हेतु अनुरोध किया गया है। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के निर्णय पर विभागीय पत्रांक 833 दिनांक 24.08.09 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी जिसके क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 06 आवास दरभंगा दिनांक 04.09.09 से उत्तर दिया गया। आरोपित पदाधिकारी के उक्त पत्र को विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार को उपलब्ध करा दिया गया। आरोपित पदाधिकारी का पत्रांक 02 शिविर– पटना दिनांक 10.12.12 सीधे अपर विभागीय जाँच आयुक्त को समर्पित किया गया। अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के उक्त दोनों बचाव बयान को संज्ञान में लेते हुए इसके तथ्यों का उल्लेख उनसे प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में किया गया एवं बगैर जाँच के वायड की निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा प्रतिवेदित करने के लिए दोषी पाया। अतएव आरोपित पदाधिकारी के उक्त दोनों पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान से द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में नये तथ्य का बोध नहीं होता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री गणेश लाल बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियंता, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया।

प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

(i) 5 (पाँच) प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षों तक के लिए रोक।

उक्त निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2247 दिनांक 14.12.15 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

अतः श्री गणेश लाल बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियंता, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) 5 (पाँच) प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षों तक के लिए रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 290-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in